

राजस्थान सरकार

नायब उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प कोलायत

क्रमांक 161

:- आदेश :-

दि. 18/3/19

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मोडिया व भू अ. नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कोलायत / नायब तहसीलदार कोलायत की रिपोर्ट पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मोडिया तहसील कोलायत व जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 में खाता संख्या 59 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	मोडिया 59	<p>ख. नं. 2 कवा डि. नि. ल. गा. 453 4.350 बी. 3 4.35</p> <p>265</p> <p>01 4.350 बी. 3 4.35</p>	<p>ख. नं. 2 कवा डि. नि. ल. गा. 502 1.400 बी. 3 1.40</p> <p>265</p> <p>503 2.950 बी. 3 2.95</p> <p>265</p> <p>02 4.350 बी. 3 4.35</p>

↓

उपखण्ड अधिकारी)
कोलायत तहसील-बीकानेर
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा. कलक्टर

क्रमांक :-
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की सुधार किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी को को सूचनार्थ।
3. संबंधित पत्रावली।

↓

उपखण्ड अधिकारी
 कोलायत तहसील-बीकानेर